न्यायालय श्री जयसिंह मेघवाल, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

राजस्व वाद संख्या– 81/2015 पुराने (116/2017 नये)

1. कमला
2. केशर
3. पुष्पा

} पुत्रीयान स्व0 श्री पेमाराम जाति मेघवाल निवासी कोलायत तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

वादीगण

–:बनाम:–

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कोलायत।

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति अभिभाषक:

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद गहलोत, अभिभाषक वादीगण।
2. पेरोकारराज, राज्य की ओर से।

–:निर्णय:–

दिनांक: 21/7/18

यह रिमाण्ड प्रकरण माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2017 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2016 को अपास्त कर इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि प्रकरण में वाद बिन्दु सुनिश्चित कर उस पर साक्ष्य लेकर आधारहीन व अधिकार विहिन स्थितियों की न्यायिक विवेचना पर पुनः विधि सम्मत निर्णय लिया जावे।

2– प्रकरण की पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त होने पर इसकी पुनः ट्रायल प्रारंभ की गयी। प्रकरण पर विचारण करने से पूर्व इसके संक्षिप्त तथ्यों को अंकित करना उचित समझते हैं। मामला इस प्रकार है कि विवादित आराजी साबिका खसरा नंबर 23/1 तादादी 25 बीघा जो ग्राम शरह किसनायत तहसील कोलायत में स्थित है। जिसके सेटलमेंट में नवीन खसरा नंबर 236 तादादी 3.77 हैक्टर बनाये गये वादीगण के पिता पेमाराम पुत्र बग्शाराम जाति मेघवाल साकिन कोलायत को आवंटन में मिली थी तथा जिस जगह हल्का

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned by CamScanner

पटवारी ने कब्जा उन्हें दिया था काबिज काश्त में रहे। राजस्व रिकार्ड में पेमाराम का नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज होता रहा। पेमाराम की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान धीनीदेवी वादीगण की माता व वादीगण के नाम विरासतन के आधार पर इन्तकाल संख्या- 188 दिनांकः 19.02.2009 को स्वीकृत कर दिया तथा वादीगण इस पर काबिज चले आ रहे हैं। धन्नी देवी की भी मृत्यु हो चुकी है। अतः वादीगण तन्हा रूप से इसके गैर खातेदार दर्ज होकर काश्त में चले आ रहे है। दौराने सेटलमेंट उक्त भूमि को पूर्व नक्शा के विपरीत तैयार कर खसरा नंबर 236 के नक्शे में अंकित कर दिया जो मौके की स्थिति के विपरीत है जबकि वादीगण का भौतिक रूप से ख.नं. 218 तादादी 3.77 हैक्टर कब्जा हैं कालान्तर में जब इसका इल्म वादीगण को हुआ तो वे दावा लेकर न्यायालय में आये और तदनुसार घोषणा करने का निवेदन किया, लेकिन न्यायालय ने उनके दावे को आधारहीन व अधिकार विहिन मानते हुवे खारिज कर दिया जिस पर अपील माननीय राजस्व अपील बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो स्वीकार की जाकर पुनः सुनवाई के निर्देश दिये गये।

3— योग्य अभिभाषक वादीगण ने अनुरोध किया कि इस प्रकरण में प्रतिवादी राज्य की ओर से दिनांक 16.05.2016 को जो जवाबदावा न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उसमें उसने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को स्पेशीफिक रूप से डिनायल नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में जब वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकरण नहीं किये गये है तो वादीगण के द्वारा किये गये अभिवचन अखंडित रह जाते है तथा इसी आधार पर प्रकरण में न तो तनकियात कायम करने की आवश्यता रहती है और ना ही किसी साक्ष्य की और इन परिस्थितियों में वादी का दावा उनके हित में डिक्री किया जाना चाहिये।

4— मैंने योग्य अभिभाषक वादी के अनुरेध को ध्यान में रखते हुवे उभयपक्ष के अभिभाषकगण को प्रकरण में अंतिम रूप से सुना एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया है। अभिलेखों के अवलोकन से जाहिर आता है कि वादीगण रिकार्ड खातेदार दर्ज है, लेकिन गलत तरमीम के कारण ख. नं. 218 तादादी 3.77 हैक्टर के बजाय खसरा नंबर 236 तादादी 3.77 हैक्टर दर्ज कर दिया गया, जो निश्चित तौर पर मामला इन्द्राज दुरूस्ती का है।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned by CamScanner

5– वाद–पत्र में लिखित कथन के अभिचनों पर आते हैं तो वाद–पत्र के पेरा संख्या 3 व 4 में तथ्य इस बात के आये है कि पेमाराम आवंटी हल्का पटवारी ने भूमि का कब्जा जिस जगह संभलवाया था वो उसी स्थान पर काबिज चला आ रहा है तथा सेटलमेंट में उसके कब्जे के विपरीत नक्शा बनाकर नवीन खसरा नंबर 236 बना दिया। जबकि वादी खसरा नंबर 218 पर काबिज है। जिसकी घोषणा वादी ने चाही है, इन तथ्यों का खंडन राज्य की ओर से तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा उसके द्वारा किये गये अभिवचनों के आधार पर अखंडित रह जाते है तथा डिक्री करने योग्य पाया जाता हैं

6– परिणामस्वरूप वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है तथा प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए अन्तर्गत धारा 136 सपठित 131 के तहत संशोधन व तरमीम करने के आदेश तहसीलदार कोलायत को दिये जाते है।वादीगण को ग्राम शरह किसनायत तहसील कोलायत के साबिका खसरा नंबर 23/11 तादादी 25 बीघा जिसके नवीन खसरा नंबर 218 तादादी 3.77 हैक्टर भूमि पर खातेदार काश्तकार होना घोषित किया जाता है तथा वर्तमान खसरा नंबर 236 तादादी 3.77 हैक्टर को आराजीराज दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी में किसी प्रकार की रूकावट न करें ना ही कोई हस्तक्षेप ही करें।

निर्णय आज दिनांक 26/7/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(जयसिंह मेघवाल)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत, जिला–बीकानेर

Scanned by CamScanner